न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00009

1. रामजीलाल पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी मोडक स्टेशन रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल मुकाम एक्सईएन सिंचाई विभाग हनुमानगढ जिला हनुमानगढ
2. राधेश्याम पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी मोडक स्टेशन, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. गीताबाई पुत्री माधोलाल पत्नी रामनारायण जाति मीणा निवासी रूघनाथ छात्रावास के पीछे चम्बल कॉलोनी गली नम्बर–2 नयापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. सुशीला बाई पुत्री माधोलाल पत्नी जगदीश जाति मीणा निवासी रतलाम फाटक के पास नागदा जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश) ।
5. राकेश पुत्र देवीलाल ।
6. नरेश पुत्र देवीलाल ।
7. रविन्द्र पुत्र देवीलाल ।
8. राजेश पुत्र देवीलाल ।
9. राजकुमार पुत्र देवीलाल ।
10. लक्ष्मीबाई पुत्री देवीलाल ।
11. अनिता पुत्री देवीलाल ।
12. कलावती बाई पत्नी देवीलाल अकवाम मीणा सकनाए स्टॉक रोड मोडक स्टेशन रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जमनालाल आयु 71 वर्ष पुत्र चून्या जाति मीणा निवासी कमलपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. कंचनबाई पुत्री रामनारायण पत्नी अमरचन्द जाति मीणा निवासी सोनी आलमपुरा तहसील अटरू जिला बारां ।
4. मांगीलाल पुत्र औंकार जाति मीणा निवासी टीटी रंगपुर रोड प्रताप नगर कोटा जंक्शन जिला कोटा ।
5. रूकमणी पुत्री औंकार जाति मीणा निवासी स्टॉक रोड मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. जगन उर्फ जगन्नाथ जाति मीणा निवासी डीसीटीआई रंग तालाब कोटा जंक्शन जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   6/1. कुसुमलता आयु 75 वर्ष पत्नी जगन ।

6/2. प्रेमराज सिंह आयु 58 वर्ष पुत्र जगन ।
6/3. हेमअजेन्द्र सिंह आयु 53 वर्ष पुत्र जगन जाति मीणा निवासीगण मोडक हाल निवासी सुन्दर नगर लोको कॉलोनी कोटा जंक्शन ।
7. राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. सांवलसिंह पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. दिनेश पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
10. रेखा बाई पुत्री नाबालिग जरिये संरक्षक माता कल्याणी जाति मीना निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
11. गायत्री बाई पुत्री नाबालिग जरिये संरखक माता कलावती जाति मीना निवासी स्टॉक रोड मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
12. अभिषेक पुत्र मांगलाल जाति मीना निवासी टीटीआई रंगपुर रोड प्रताप नगर कोटा जंक्शन कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामेश्वर गोयल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री छोटूलाल जाटव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 54 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोडक तहसील रामगंजमण्डी की खाता संख्या 97/99 की खसरा नम्बर 124 की रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 की रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 की रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 की रकबा 11 बीघा कुल किता 04 की रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में चली आ रही है जिसमें वादी व प्रतिवादी कम 19 लगायत 25 का 1/6 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/12 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और विभाजन में प्राप्त भूमि को अपने नाम पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे तथा पृथक से लगान कायम करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादीगण कम 2 लगायत 15 के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.12.2019 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 एवं 15 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने प्रतिवादी संख्या 07 नारायणी बाई, प्रतिवादी संख्या 2 चौथमल प्रतिवादी कम 24 सीताबाई का दौराने वाद स्वर्गवास हो गया था लेकिन वादी रेस्पोडेन्ट ने उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया । वादी का वाद मृतक प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने से अबेट हो गया था । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2019 निरस्त फरमाया जावे।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था जिसमें वादी ने अपना 1/12 हिस्सा होना बताकर विभाजन करने का अनुतोष चाहा था । अपीलान्टगण मृतका नारायणीबाई एवं कंचनबाई द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी एवं खसरा नम्बर 128 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि पूर्व में अपीलान्ट कम 1 व 2 के दादा ग्यारसीराम उर्फ ग्यारस्या के खातेदारी की थी, उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि चौथमल वल्द लाला व चून्या, रामनारायण व औंकार व माधौ पिसरान ग्यारस्या तथा जगन वल्द भंवरया के खाते दर्ज हुई । सहखातेदार चून्या जो रेस्पोडेन्ट कम 01 का पिता था ने अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 128 बिल एवज 99/– रूपये में अपीलान्ट कम 1 व 2 के पिता को विकय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा जरिये इंतकाल चून्या सहखातेदार का नाम खारिज होकर अपीलान्ट कम 1 व 2 के पिता का नाम दर्ज कर दिया गया लेकिन राजस्व अधिकारियों ने अपीलान्ट कम 1व 2 के पिता का नाम हटा दिया । सहखातेदार रामनारायण ने भी उक्त आराजी में से अपने हिस्से में आई आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र अपीलान्ट कम 1 व 2 के पिता

माधो को विकय्र कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा जरिये इंतकाल रामनारायण के स्थान पर उक्त भूमि माधो के नाम दर्ज कर दी गई । लेकिन राजस्व अधिकारियों ने अपीलान्ट के पिता का नाम डिलीट कर पुनः आराजी रामनारायण के खाते दर्ज कर दी जो रामनारायण जी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट कम 03 कंचनबाई के खाते दर्ज कर दी । अपीलान्टगण ने इस आशय का काउन्टर क्लेम भी परीक्षण न्यायालय में पेश किया था लेकिन परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा ली गई आपत्तियों का विधि सम्मत निष्कर्ष न निकालकर रेस्पोडेन्ट कम 01 का नाम डिकी कर दिया । अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह कथन किया था कि रेस्पोडेन्ट कम 01 वादी के पिता चून्या अपने हिस्से की आराजी का विकय कर चुके हैं । चून्या जी द्वारा वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की आराजी का विकय कर दिये जाने से उनका उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं था । ऐसी स्थिति में वादी रेस्पोडेन्ट को वाद लाने का अधिकार नहीं था । इसी प्रकार सहखातेदार रामनारायण ने अपने हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से अपीलान्टगण के पिता के पक्ष में बेचान कर कब्जा संभला दिया था । परीक्षण न्यायालय में दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 07 नारायणी बाई, प्रतिवादी संख्या 2 चौथमल व प्रतिवादी संख्या 24 सीताबाई का स्वर्गवास हो गया । वादी रेस्पोडेन्ट ने मृतकों के वारिसों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कोई आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया । रेस्पोडेन्ट कम 01 वादी ने वादपत्र के शीर्षक में ही प्रतिवादी संख्या 22 व 23 रेस्पोडेन्ट कम 10 व 11 को नाबालिग होना माना लेकिन उनकी ओर से संरक्षक नियुक्त कराये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था । वादी ने वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम विधि सम्मत रूप से सत्यापित नहीं हुआ न ही वादी ने आदेश 06 नियम 15 (4) सीपीसी के तहत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.12.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2012 (वोल्यू–2) पेज 729, आरबीजे 2017 पेज 18, डीएनजे 2012 (वोल्यू0–3) पेज 1715, आरबीजे 2017 (एससी) पेज 385, डीएनजे 2017 (एससी) पेज 415 उद्धरत की ।

9. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार दर्ज है जिसे अपने हिस्से की आराजी का विधिवत विभाजन कराने तथा पृथक से लगान कायम कराने का अधिकार प्राप्त है । अपीलान्टगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि पूर्व में अपीलान्ट कम 1 व 2 के दादा ग्यारसीराम उर्फ ग्यारस्या के खातेदारी की थी, उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि चौथमल वल्द लाला व चून्या, रामनारायण व औंकार व माधौ पिसरान ग्यारस्या तथा जगन वल्द भंवरया के खाते दर्ज हुई । सहखातेदार चून्या जो रेस्पोडेन्ट कम 01 का पिता था ने अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 128 बिल एवज 99/– रूपये में अपीलान्ट कम 1 व 2 के पिता को विकय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था इस सम्बन्ध में हमारा कथन है कि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी जिसे बिना विधिक विभाजन करवाये एक ही व्यक्ति द्वारा बिना रजिस्टर्ड बेचान आलेखित कर बेचान किया गया है जो विधि के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप में वादी रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिकी जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.12.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत अपील में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.12.2021 के द्वारा स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया । उक्त दस्तावेज में मृत्यु प्रमाण पत्र नारायण बाई जिनकी मृत्यु की दिनांक 10.10.2012 अंकित है । दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र चौथमल मीणा का है जिनकी मृत्यु दिनांक 18.08.2011 अंकित है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 54 के अन्तर्गत दिनांक 27.11.20009 को वाद प्रस्तुत किया था। विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी कम 24 सीताबाई का दौराने वाद स्वर्गवास हो गया था लेकिन वादी रेस्पोडेन्ट ने उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया । इस सम्बन्ध में प्रतीत होता है कि प्रतिवादी कम 24 मृतक सीता बाई के वारिस पूर्व से ही दावे में पक्षकार हैं । इसी प्रकार प्रतिवादी कम 07 नारायणी बाई की मृत्यु दिनांक 10.10.2012 को हो चुकी थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इनके वारिसान पूर्व से पक्षकार हैं । हमारे मत में चूँकि वाद बंटवारे का भी है, अतः मृतक के नाम डिलीट किये जाने चाहिए । इसी प्रकार प्रतिवादी कम 01 चौथमल मीणा की दिनांक 18.08.2011 को मृत्यु हो चुकी थी परन्तु वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में उनके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया था । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.12.2019 को मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है जो विधिक रूप से नलिटी (Nullity) है । बंटवारे के वाद में सभी हितबद्ध पक्षों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । हम इस प्रकरण में मृतक चौथमल के विधिक वारिस को रिकॉर्ड पर लेकर उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मृतक खातेदारान के मध्य विभाजन के आदेश दिये गये हैं, जबकि मृतक खातेदारान के स्थान पर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के उपरान्त ही वारिसान के मध्य विभाजन की डिकी पारित की जानी चाहिए थी ।

12. पत्रावली में अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से भी बंटवारे के वाद में स्पष्टता का अभाव है । पत्रावली में उपलब्ध नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब /रिपोर्ट दिनांक 08.04.2020 में वादी का हिस्सा 1/7 अंकित किया गया है, जबकि वादी जमुना लाल द्वारा अपना हिस्सा 1/12 अंकित किया गया है । अतः वादी के हिस्से से सम्बन्धित कोई स्पष्ट नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से स्थिति स्पष्ट नहीं है । मृतक खातेदार रामनारायण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 660 दिनांक 29.11.1979 से बेचान की गई भूमि खसरा नम्बर 126 की 05 बीघा 03 बिस्वा के सम्बन्ध में अद्यतन जमाबन्दी उपलब्ध नहीं होने से रिकॉर्ड में अमल की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है ।

13. परीक्षण न्यायालय ने तनकी नम्बर 03 में रामनारायण द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा अभिविभाजित भूमि के विशेष खसरा नम्बर का विकय करना अंकित किया है । परन्तु रामनारायण के पंजीबद्ध विकय पत्र प्रारम्भ से शून्य है अथवा नहीं ? इस विकय पत्र की विधिक स्थिति क्या है ? इस सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय ने कोई Speeking निर्णय

पारित नहीं किया । रामनारायण की पुत्री कंचन बाई ने भी अपने जवाबदावे में उक्त विक्रय को माना है । अतः तनकी नम्बर 03 में रामनारायण के पंजीकृत विक्रय पत्र के सम्बन्ध में स्पष्ट निष्कर्ष पारित किया जाए । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम 01 मृतक चौथमल के विधिक वारिसान यदि कोई हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड पर लेकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा निर्णय के पैरा संख्या 11, 12 व 13 के Observation/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.11.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा